राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

''वित्त भवन'' जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (जी–437 / 81)(लिंक नं. 8667) / अलेसे– ।। / 924-930 दिनांक :–12-01-24

प्रमाण पत्र

निदेशालय के आदेश संख्या 286 / 2017–18 दिनांक 11.01.2018 के द्वारा क्रम संख्या 04 पर अंकित श्री घनश्याम काष्ट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2018 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उस समय इनके विरूद्ध विभागीय रिकार्ड अनुसार विभागीय जांच एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन / लम्बित होने के कारण इन्हें वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए।

श्री काष्ट के विरूद्ध प्रक्रियाधीन विभागीय जांच का निस्तारण किया जा चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लम्बित प्रकरण में अनुसंधान कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, किन्तु उनके द्वारा आदिनांक तक मान0 न्यायालय में चालान पेश नहीं किए जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के बिन्दु संख्या 7(6)(B)(i) के अनुसार वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.12(6)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री घनश्याम काष्ट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के विरूद्ध आज तक–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक जांच कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (जी–437 / 81)(लिंक नं. 8667) / अलेसे– ।। / 924-930 दिनांक :–12-01-24

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा।
2. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, भीलवाडा।
4. कोषाधिकारी, भीलवाडा।
5. श्री घनश्याम काष्ट, मकान नं. 1–डी–1, आर.सी. व्यास कालोनी गेट नं. 03, भीलवाडा।
6. एसीपी / डीपीसी अनुभाग / रक्षित पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)